



**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 22.02.2026**

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु चलाया गया वृहद, सघन एवं बहुआयामी पुलिस अभियान।

**विवरण-** श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बांदा के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 22.02.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में एक अत्यंत वृहद, सुनियोजित, समन्वित एवं बहुआयामी सघन पुलिस अभियान संचालित किया गया। इस विशेष अभियान में जनपद के सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पूर्ण सक्रियता एवं सतर्कता के साथ सहभागिता की गई। अभियान का मूल उद्देश्य जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं खुलासा करना तथा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करना रहा।

### **अभियान की व्यापक कार्ययोजना-**

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जनपद स्तर पर पूर्व नियोजित रणनीति के अंतर्गत थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल को अलग-अलग टीमों में विभाजित कर संदिग्ध स्थलों की पहचान कराई गई तथा निर्धारित समयावधि में एक साथ सघन चेकिंग सुनिश्चित की गई।

### **संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग-**

अभियान के दौरान जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित होटल, लॉज, धर्मशाला, टेंट हाउस, कबाड़ी की दुकानें, झुग्गी-झोपड़ियाँ, जंगलों में अस्थायी रूप से बसे डेरों, निर्माणाधीन स्थल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे क्षेत्र के आसपास, सुनसान स्थानों एवं अन्य संवेदनशील एवं संदिग्ध स्थलों पर विशेष रूप से पुलिस टीमों को तैनात कर गहन चेकिंग की गई। इन स्थानों पर निवास कर रहे, कार्यरत अथवा अस्थायी रूप से ठहरे व्यक्तियों की पहचान से संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए व्यक्तियों से गहन पूछताछ कर उनके निवास, कार्य, पूर्व आपराधिक इतिहास, आवागमन एवं गतिविधियों के संबंध में आवश्यक जानकारी संकलित की गई।

### **वाहन चोरी की रोकथाम एवं तकनीकी जांच-**

अभियान के दौरान वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने एवं पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं के खुलासे हेतु दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की विशेष सघन चेकिंग की गई। पुलिस टीमों द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर का भौतिक सत्यापन किया गया तथा संदिग्ध पाए गए वाहनों के संबंध में वाहन स्वामित्व की पुष्टि की गई। वाहन चोरी से संबंधित मामलों में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए आगे की विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

### **निरोधात्मक, वैधानिक एवं शांति व्यवस्था संबंधी कार्यवाही-**

जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अभियान के दौरान असामाजिक तत्वों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों एवं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में

किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न होने के लिए सख्त चेतावनी दी गई तथा आवश्यकतानुसार संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाही की गई, जिससे जनपद में शांति एवं सौहार्द बना रहे।

#### **जनसंवाद, सतर्कता एवं जनसहयोग-**

अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा आम नागरिकों, दुकानदारों, होटल एवं लॉज संचालकों तथा स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अज्ञात व्यक्तियों की आवाजाही अथवा चोरी-लूट जैसी घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु जागरूक किया गया। नागरिकों को यह भी अवगत कराया गया कि जनसहयोग से ही अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा पुलिस जनसुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है।

#### **अभियान का उद्देश्य एवं स्पष्ट संदेश-**

इस वृहद, सघन एवं बहुआयामी अभियान के माध्यम से जनपद पुलिस द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अपराध एवं अपराधियों के प्रति जनपद पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति पूर्णतः प्रभावी है। जनपद में कानून-व्यवस्था भंग करने वाले, वाहन चोरी, आपराधिक गतिविधियों अथवा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाही की जाएगी। जनपद पुलिस आम जनमानस की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के व्यापक, सघन एवं प्रभावी अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे अपराधियों में भय एवं आम नागरिकों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे।